बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक–**11.02.2026**

संचिका संख्या–03/आ01–35/2023 **I/361419**/श्री रोहित कुमार चौरसिया, तत्कालीन प्राधिकृत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, भोजपुर सम्प्रति प्रतिनियुक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अररिया के विरूद्ध जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक–199 दिनांक 12.04.2023 के द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोपों के आधार पर विभाग द्वारा आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए श्री चौरसिया से विभागीय ज्ञापांक–273 दिनांक 15.06.2023 द्वारा बचाव अभिकथन की मांग की गई।

2. श्री चौरसिया के पत्रांक–909 दिनांक 26.06.2023 द्वारा बचाव अभिकथन प्राप्त हुआ। प्राप्त बचाव अभिकथन पर विभागीय पत्रांक–347 दिनांक 11.07.2023 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर, आरा से मंतव्य की मांग की गयी। जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक–507 दिनांक 08.08.2023 द्वारा बचाव अभिकथन पर श्री चौरसिया के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को नजरअंदाज करने का मंतव्य प्राप्त हुआ।

3. श्री चौरसिया के विरूद्ध गठित आरोपों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर, आरा से प्राप्त मंतव्य के आलोक में विभागीय पत्रांक–509 दिनांक 26.08.2023 के द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक–232 दिनांक 14.09.2023 के द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में श्री चौरसिया के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये गये।

4. उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–90505 दिनांक 22.11.2023 द्वारा श्री चौरसिया पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गयी। श्री चौरसिया के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंतर्विष्ट आरोप निम्नांकित हैं :–

i. जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर कार्यालय स्थापना शाखा के कार्यालय भवन उपस्कर मद में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 2000000/ बीस लाख रुपये का प्राप्त आवंटन का बिना जिला शिक्षा पदाधिकारी, आरा के संज्ञान/अनुमोदन के अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निकासी करना जो वित्तीय अनियमितता का परिचायक है।
ii. निकासी की राशि से स्वेच्छाचारिता बरतते हुए आनन–फानन में बिना विहित प्रक्रिया का पालन किये उपस्कर क्रय कर राशि का अपव्यय करना एवं संबधित संचिका जिला शिक्षा पदाधिकारी, आरा के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना।

5. संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही के क्रम में आरोपित सरकारी सेवक श्री रोहित कुमार चौरसिया द्वारा अपना बचाव बयान अंकित कराया गया। श्री सुनील कुमार, संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–102 दिनांक 29.04.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं मंतव्य उपलब्ध कराया गया है। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि श्री रोहित कुमार चौरसिया, कार्यक्रम पदाधिकारी–सह–प्राधिकृत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), भोजपुर का प्राप्त बचाव अभिकथन संतोषजनक नहीं है। श्री चौरसिया के द्वारा बिहार वित्तीय (संशोधित) नियम, 2005 के नियम 131G (Purchase of Goods by obtaining bids) का उल्लंघन किया गया है। श्री चौरसिया के द्वारा मो. पाँच लाख रूपये की ऊपर की सामग्री एक बार में क्रय की गयी है। बिहार वित्तीय नियमावली संशोधित नियम 2005 के नियम 131G में मात्र पाँच लाख रूपये तक की सामग्री को कोटेशन तथा तीन सदस्यों वाली स्थानीय क्रय समिति की अनुशंसा पर सामग्री/उपस्कर क्रय करने का प्रावधान है। पाँच लाख रूपये से अधिक राशि के एक बार में उपस्कर/सामग्री का क्रय नियम 131G के तहत विज्ञापन प्रकाशित कर

निविदा के माध्यम से किया जाना है। उपस्थापन पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर ने भी लगाए गए आरोपों पर सहमति दी है जिससे स्पष्ट है कि श्री रोहित कुमार चौरसिया कार्यक्रम पदाधिकारी–सह–प्राधिकृत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), भोजपुर द्वारा प्रावधानित वित्तीय नियमों की अनदेखी की गयी है। उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर गठित आरोप संख्या–01 एवं 02 की पुष्टि होती है।

6. उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 (3) के तहत आरोपित सरकारी सेवक से लिखित अभ्यावेदन की अपेक्षा की गई। इसमें भी श्री चौरसिया के द्वारा कमोवेश उन्हीं बिंदुओं को रखा गया है जो विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान प्रस्तुत किया गया था।

7. अनुशासनिक प्राधिकार की समीक्षा में यह पाया गया कि श्री चौरसिया के विरूद्ध मुख्य रूप से यह आरोप है कि इन्होंने स्थापना शाखा के कार्यालय व्यय उपस्कर मद में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 2000000/– (बीस लाख रुपये) का प्राप्त आवंटन का बिना जिला शिक्षा पदाधिकारी, आरा के संज्ञान/अनुमोदन के अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निकासी किया गया तथा उनके संज्ञान में लाए बिना उपस्कर का क्रय कर लिया गया है। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा किए गए जांच में यह पाया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर कार्यालय के नवनिर्मित भवन में उपस्कर क्रय हेतु आवंटन की मांग की गई थी, जिसके आलोक में ही विभाग से कार्यालय स्थापना शाखा में कार्यालय व्यय मद आकस्मिकता निधि विशेष शीर्ष–1301 में उपस्कर क्रय हेतु बीस लाख रू० का आवंटन CFMS के माध्यम से दिनांक 18.03.2023 को प्राप्त हुआ। तदोपरान्त प्रभारी लिपिक श्री रोहित कुमार द्वारा दिनांक 20.03.2023 को कोटेशन प्राप्त करने एवं क्रय समिति के गठन करने का प्रस्ताव जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) श्री चौरसिया को दिया गया। उक्त प्रस्ताव पर श्री चौरसिया द्वारा तीन लिपिकों को क्रय समिति का सदस्य बनाते हुए स्वयं को अध्यक्ष बना लिया गया, किन्तु उक्त प्रस्ताव पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की सहमति प्राप्त नहीं की गई। दिनांक 20.03.2023 को ही क्रय समिति की बैठक सम्पन्न कर ली गई, जिसमें तीनों लिपिकों सहित 05 लाख रू० के अन्तर्गत कोटेशन प्राप्त करने के निर्णय के साथ तुलनात्मक सूची तैयार करने का भी निर्णय ले लिया गया। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि 20 लाख रूपए आवंटन प्राप्त हुआ था किन्तु 05 लाख के अन्तर्गत कोटेशन प्राप्त करने का निर्णय बैठक की कार्यवाही में लिया जाना भी प्रायोजित निर्णय परिलक्षित होता है। बैठक की कार्यवाही पंजी के अनुसार, उक्त बैठक के अलावे अन्य कोई बैठक या कार्यवाही पंजी में नहीं देखा गया। दिनांक 20.03.2023 को ही समिति के सदस्यों (लिपिको) द्वारा पटना सहित आरा के मार्केट का सर्वे भी कर लिया गया एवं इसी तिथि को 06 आपूर्तिकर्ताओं से उन लिपिकों द्वारा कोटेशन भी प्राप्त कर लिया गया तथा इसी तिथि को ही तुलनात्मक विवरणी भी तैयार कर ली गई। कोटेशन में अंकित सामग्रियों की सूची में कार्यालय में उपयोग के लिए आवश्यक सामानों की आपूर्ति हेतु कार्यादेश (Work Order) निर्गत करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। दि० 20 एवं 21 मार्च 2023 को विपत्र प्रस्तुत किया गया, जबकि दि० 25 मार्च 2023 को Work Order आपूर्तिकर्ताओं को दिया गया। विभिन्न आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त कोटेशन की प्रति के अवलोकन में पाया गया कि किसी भी कोटेशन पर किसी सदस्य या पदाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। साथ ही कई ऐसे सामग्रियों की तुलनात्मक विवरणी तैयार की गई है जो यह दर्शाता है कि आनन–फानन में केवल खानापूर्ति के लिए कोटेशन प्राप्त किया गया है एवं उसकी तुलनात्मक विवरणी बनाई गई है। इतना ही नहीं, स्थानीय आरा एवं पटना में उपस्कर के अधिकृत विक्रेता के उपलब्ध रहने के बावजूद भी थर्ड पार्टी से क्रय किया जाना श्री चौरसिया के निजी स्वार्थ की पूर्ति को परिलक्षित करता है। अभिलेखीय अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि 05 लाख रूपए के अन्तर्गत तीन विपत्र दि० 20.03.2023 को तथा एक विपत्र 21.03.2023 को पारित करने हेतु CFMS से Bill generate कर विपत्र श्री चौरसिया द्वारा कोषागार में प्रस्तुत किया गया। विपत्र पारित उपरान्त जिला कार्यकम पदाधिकारी, स्थापना श्री चौरसिया ने एस० बी० आई० मुख्य शाखा में कार्यालय के खाता संख्या–32105356951 में Credit करा

लिया गया, जो उचित नहीं है। सप्लायर का Pay Id generate कर उनके ही खाते के माध्यम से भुगतान करना चाहिए था, किन्तु ऐसा न कर श्री चौरसिया द्वारा अवैध भुगतान की नियत से अपने स्तर से आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने का कार्य किया गया। निदेशक, (प्रशासन) सह–अपर सचिव को संबोधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक 507 (को०) दिनांक 08.08.2023 द्वारा समर्पित मंतव्य प्रतिवेदन के कंडिका–2 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उपस्कर की संख्या भौतिक सत्यापन में कम पाया गया है तथा उपस्कर की गुणवत्ता भी निम्न स्तर का है। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री चौरसिया द्वारा अपने पदीय दायित्व का निर्वहन उचित ढंग से न कर नवनिर्मित भवन के लिए उपस्कर कय में अनियमितता की गई है तथा सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया है। उपस्कर क्रय के किसी भी मानक प्रक्रिया का पालन न कर तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को संज्ञान में न देकर श्री चौरसिया द्वारा स्वेच्छाचारिता तथा वित्तीय अनियमितता बरती गई है। श्री चौरसिया के द्वारा अपने बचाव अभिकथन में अंकित किया गया है कि आवंटन चूँकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अंतिम दिनों में आया था इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि बिना वित्तीय नियमों का अनुपालन किए हुए राशि का दुरूपयोग किया जाए। जिला स्तरीय शिक्षा विभाग की क्रय समिति के अध्यक्ष, जिला शिक्षा पदाधिकारी को दरकिनार कर जिला क्रय समिति का स्वयं अध्यक्ष बन जाना तथा वित्तीय अनुदेशों का उल्लंघन कर टूकड़ों में 2000000/– (बीस लाख) रुपये की राशि की निकासी किया जाना वित्तीय अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।

8. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि श्री रोहित कुमार चौरसिया के द्वारा निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु पारित अभिश्रव में दर्ज सामग्री में मनमाने ढंग से फेर–बदल कर नियम के विरुद्ध सामग्री क्रय की गयी है जो स्पष्ट रुप से बिहार वित्तीय नियमावली के प्रतिकूल, अनियमित, सरकारी राशि के दुरुपयोग एवं गबन का द्योतक है।

9. सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री रोहित कुमार चौरसिया के विरूद्ध प्रमाणित गंभीर आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के अंतर्गत **"संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतन वृद्धि अवरूद्ध"** की शास्ति विनिश्चित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई।

10. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–4418 दिनांक–05.02.2026 द्वारा श्री रोहित कुमार चौरसिया, तत्कालीन प्राधिकृत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, भोजपुर सम्प्रति प्रतिनियुक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अररिया के विरुद्ध उपर्युक्त विनिश्चित शास्ति पर सहमति प्रदान की गई है।

11. अतः उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रोहित कुमार चौरसिया, तत्कालीन प्राधिकृत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, भोजपुर सम्प्रति प्रतिनियुक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अररिया के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (VI) के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है–

"संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतन वृद्धि अवरूद्ध"।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

ह0/–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः–03/आ01–35/2023-2/361419/ पटना, दिनांकः- **11.02.2026**

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग,

बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक/प्रबंध निदेशक/परियोजना निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02/आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं श्री रोहित कुमार चौरसिया, तत्कालीन प्राधिकृत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, भोजपुर सम्प्रति प्रतिनियुक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
Date: 09-02-2026 18:05:14